

## ज्ञापन

सेवा में,

माननीय राज्यपाल महोदय

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

द्वारा—

श्रीमान् जिलाधिकारी

विषय—आपत्तिजनक, भड़काऊ भाषण एवं वक्तव्य देकर धार्मिक उन्माद एवं दंगा कराने की साजिश रचने वाले डॉ. अयूब की गिरफ्तारी एवं रासुका में निरुद्ध करने की मांग।

महोदय,

महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्षपीठाधीश्वर के साथ-साथ लगातार पांच बार से सांसद एवं करोड़ों हिन्दुओं की आस्था के प्रतीक हैं। दिनांक 25 जुलाई 2016 को पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं खलीलाबाद के विधायक डॉ. अयूब ने परमपूज्य महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज पर सार्वजनिक रूप से आतंकवादी होने का आरोप लगाया है जो कि समग्र हिन्दू समाज व राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के लिए सरासर अपमानजनक है। इस तरह का वक्तव्य देकर डॉ. अयूब द्वारा समाज में कटुता व विद्वेष पैदा करने के साथ-साथ दो सम्प्रदायों के बीच दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है। यह कतई समाज व देश हित में नहीं है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 26 जुलाई 2016 को गोरखपुर जनपद के थाना—कैण्ट में डॉ. अयूब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। बावजूद इसके उसके द्वारा प्रेस-सभा कर पुनः योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए मनुवादी आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया गया। इसी सम्बन्ध में दिनांक 28 जुलाई 2016 को बड़हलगंज थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज कराकर डॉ. अयूब को गिरफ्तार करने तथा उसके खिलाफ रासुका की कार्यवाही की मांग की गयी है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे प्रकरण में कोई त्वरित कार्यवाही न कर लीपापोती कर रहा है जिससे डॉ. अयूबका मनोबल काफी बढ़ गया है। डॉ. अयूब द्वारा लगातार भड़काऊ भाषण एवं वक्तव्य देने से जनता में काफी आक्रोश है एवं आम जन की सुरक्षा खतरे में है।

डॉ. अयूब इसके पूर्व भी कई आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है। इसके सम्बन्ध मिर्जा दिलशाद बेग से रहे हैं। ये लगातार पाकिस्तान की यात्रा पर भी जाता रहे है। इसके सम्बन्ध भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय तत्वों से भी हैं। पूर्व में भी इसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 147, 148, 188, 418, 504, 506 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे चल रहे हैं।

अतः हम मांग करते हैं कि—

1. डॉ. अयूब को गिरफ्तार कर उसके ऊपर रासुका की कार्यवाही की जाय।
2. डॉ. अयूब के पाकिस्तान एवं अन्य खाड़ी देशों की यात्रा के कारण की जांच करायी जाय।
3. डॉ. अयूब पाकिस्तान एवं अन्य खाड़ी देशों की संदिग्ध यात्रा के दौरान किन-किन लोगों से मिलते हैं, इसकी जाँच करायी जाय।
4. डॉ. अयूब द्वारा संचालित अल्पसंख्यक संस्थाओं एवं एन.जी.ओ. द्वारा प्राप्त धनराशि एवं उसके खर्च के मदों की जाँच करायी जाय।

दिनांक— 01 अगस्त 2016

हम हैं—

हिन्दु युवा वाहिनी जनपद \_\_\_\_\_ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण